

पुलिस विभाग जिला झालावाड

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

अवैध हथियार सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. थानाधिकारी **थाना सुनेल** द्वारा दिनांक 16.07.2017 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – जसवन्तसिंह पुत्र सज्जनसिंह उम्र 45 साल निवासी पीथाखेडी थाना सुनेल को बिना अनुज्ञापत्र के धारदार चाकू ले जाते हुये को जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 147/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी **थाना अकलेरा** द्वारा दिनांक 16.07.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – मुकेश पुत्र बाबुलाल उम्र 27 साल निवासी खारपा थाना अकलेरा को सार्वजनिक स्थान पर नंगी तलवार लेकर घुमते हुऐ को जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 186/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● अवैध शराब सहित गिरफ्तार

1. थानाधिकारी **थाना भालता** द्वारा दिनांक 16.07.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त –धन्नलाल पुत्र चम्पालाल उम्र 44 साल निवासी देवरी मन्दिर थाना भालता के कब्जे से 240 क्वार्टर देशी शराब के बिना अनुज्ञापत्र के जप्त कर प्रकरण संख्या 72/17 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलतें 04 अभियुक्त गिरफ्तार 1050/—रु0 बरामद

1. थानाधिकारी **थाना भवानीमण्डी** द्वारा दिनांक 16.07.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – 1.सईद खान पुत्र अब्दुल हमीद 25साल निवासी जवाहर कालोनी भ०मण्डी 2– बन्टी उर्फ संतोष पुत्र गयाप्रसाद उम्र 28 साल निवासी गरीब नवाज कोलोनी भ०मण्डी 3– जाकिर हुसैन पुत्र साबुदीन उम्र 40साल निवासी एकता नगर भ०मण्डी 4– रईस मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 26 साल निवासी गरीब नवाज कोलोनी भ०मण्डी को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुऐ मय जुआ राशि 1050 रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 188/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट में गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. थाना **झालरापाटन** दिनांक 16.07.2017 को केस न0 553/11 धारा 341,323,34 भादस में अभियुक्त—मांगीलाल पुत्र गिरधारीलाल निवासी डोंडा थाना सदर झालावाड हाल कड़ोदिया को न्यायालय द्वारा जारी **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार वारण्टी में गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. थाना **झालरापाटन** दिनांक 16.07.2017 को केस न0 187/11 धारा 451,504,379 भादस में अभियुक्त—श्यामलाल पुत्र फुन्दा लाल उम्र 38 साल निवासी राजपुरा थाना सारोला को न्यायालय द्वारा जारी **गिरफ्तारी वारण्ट** में गिरफ्तार किया।

-----“-----”-----